



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

18 भाद्र, 1947 (श०)

संख्या - 424 राँची, मंगलवार,

9 सितम्बर, 2025 (ई०)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

संकल्प

28 अगस्त, 2025

संख्या-11/आ०-10/22-5553--चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री हामिद अख्तर, तत्कालीन काराधीक्षक, बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची संप्रति सहायक कारा महानिरीक्षक, कारा निरीक्षणालय द्वारा बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची में संसीमित सजावार बंदी नितीश कुमार, पे०-शिव कुमार प्रसाद, ग्राम-पीपरटोली, थाना-खूँटी को आदतन श्रेणी का अपराधी होने के बाद भी झारखण्ड राज्य अस्थायी निर्मुक्ति नियमावली-2012 के कंडिका-7(I) (ख) (i) का उल्लंघन करते हुए बंदी को पैरोल स्वीकृति हेतु अनुशंसा किया गया है, जैसा कि कारा निरीक्षणालय के पत्रांक-378, दिनांक-14.02.2022 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये अनुशंसा सह आरोप पत्र में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है ।

2. अतः श्री अख्तर के विरुद्ध आरोप पत्र (memo of charges) में गठित आरोपों की जांच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

3. श्री अख्तर के विरुद्ध गठित आरोपों की जाँच के लिए श्री इकबाल आलम अंसारी, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।
4. तदनुसार एतद् द्वारा श्री हामिद अख्तर को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ ।
5. श्री अख्तर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री तुषार रंजन गुप्ता, सहायक कारा महानिरीक्षक, कारा निरीक्षणालय एवं सुधारात्मक सेवाएँ, झारखण्ड, राँची को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया जाता है ।
6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का आदेश प्राप्त है ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री हामिद अख्तर, सहायक कारा महानिरीक्षक, कारा निरीक्षणालय एवं सुधारात्मक सेवाएँ, झारखण्ड, राँची एवं श्री इकबाल आलम अंसारी, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची विभागीय जाँच पदाधिकारी को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

संतोष कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
